रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1646] नई दिल्ली, सोमवार, मई 7, 2018/ वैशाख 17, 1940
No. 1646] NEW DELHI, MONDAY, MAY 7, 2018/ VAISAKHA 17, 1940

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 2018

का.आ. 1833(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2018 का 1) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 मई, 2018 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपबंध प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

क्र. सं.	धाराएं
1.	धारा 2 का खंड (i) और खंड (xiii);
2.	धारा 8;
3.	धारा 13;
4.	धारा 18 और धारा 19;
5.	धारा 21 का खंड (i) और खंड (ii);
6.	धारा 23 का खंड (iii) और खंड (iv);
7.	धारा 30 और धारा 31;
8.	धारा 33;
9.	धारा 39 और धारा 40;
10.	धारा 46;
11.	धारा 49;
12.	धारा 52;
13.	धारा 54 और 58 (दोनों सम्मिलित);
14.	धारा 61 और 62;
15.	धारा 80 के खंड (i) के पहले परंतुक और धारा 80 का खंड (ii);
16.	धारा 83;
17.	धारा 86 से धारा 89 (दोनों सम्मिलित)।

[फा. सं. 1/1/2018-सीएल. I]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th May, 2018

S.O. 1833(E).—In exercise of the Power conferred by Sub-Section (2) of Section 1 of the Companies (Amendment) Act, 2017 (1 of 2018), the Central Government hereby appoints the 7th May, 2018 as the date on which the following provisions of the said Act shall come into force, namely:—

SI. No.	Sections
1.	Clause (i) and clause (xiii) of section 2;
2.	Section 8;
3.	Section 13;
4.	Sections 18 and 19;
5.	Clauses (i) and (ii) of section 21;
6.	Clauses (iii) and (iv) of section 23;
7.	Section 30 and 31;
8.	Section 33;
9.	Section 39 and 40;
10.	Section 46;
11.	Section 49;
12.	Section 52;
13.	Sections 54 to 58 (both inclusive);
14.	Sections 61 and 62;
15.	First Proviso to clause (i) of section 80 and clause (ii) of section 80;
16.	Section 83;
17.	Sections 86 to 89 (both inclusive).

IndiaCode

[F. No. 1/1/2018- CL.I]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.05.08 18:04:02 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.